न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 10/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
मदनसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स माजीसा स्वीट होम, गडरारोड बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **15.02.2022** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स माजीसा स्वीट होम, गडरारोड बाड़मेर** में निरीक्षण के दौरान पर एक फ्रीज में लगभग 08 लीटर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल **800 ग्राम दही (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1568** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने का विधिक अधिकारी नहीं है। जहां तक खाद्य पदार्थ के दुकान में खुले में दही पडा हुआ पाया होने का तथ्य है वह गलत है क्योंकि वास्तव में उक्त दही से कडी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा था। खाद्य निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई थी। साथ ही अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि सैम्पल लिये गये खाद्य पदार्थ को सीलबंद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का अभाव में मामला खारिज योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.02.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** मानक स्तर न्यूनतम 4.50% के मुकाबले 1.09% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अत्यन्त कम है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी एवं इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अप्रार्थी ने लिखित जवाब में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैधानिकता को नकारते हुए निवेदन किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि सैम्पल लिये गये खाद्य पदार्थ को सीलबंद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का अभाव में मामला खारिज योग्य होने से निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उसके प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है किन्तु अप्रार्थी द्वारा [illegible] अवमानक पाये जाने के पक्ष में अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस [illegible] अपने दायित्व से विमुख होने का प्रयास है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा [illegible] के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 20,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **18.07.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested